[illegible] 31-8-18 को पेश

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

31.8.18 वादी उपस्थित प्रतिवादीगण अनुपस्थित
वास्ते तलबी प्रति० लगा तलबाना पेश की
तलबी जारी होकर पत्रावली दि 20-9-18 को
पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

20-9-18 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते
अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20-11-18
को पेश हो।

20-11-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित / पीठासीन अधिकारी महोदय
दीगर कार्यों / चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं।
पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक
6-2-19 को पेश हो।
दीवान

27.12.18 वादी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रकरण वाद में करने
की चाहना तथा पत्रावली को तलब
कार्यवाही करने के लिए पत्रावली पेश हुई।
वादी दावा प्रस्तुत प्रार्थना में पक्षकारान के
मध्य राजीनामा होने लेख प्रकरण को अग्रिम
स्थगित न चाहने तथा विड्रा करने चाहते हैं
वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध
मूल लेख कागज वापस लेकर दे तथा वाद तकमील
जाबता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि 27-12-18 को
सुनाया जाता।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

विधायक

पक्षकार